# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2010–21 दिनांक–04.01.2021 के तहत् श्रीमती अनिता सोनी, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, राजगढ, चूरू का स्थानान्तरण राउमावि, ढाणी कुम्हारान, बीदासर–रतनगढ, चूरू किया गया। श्रीमती अनिता सोनी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या–524/2021 अनिता सोनी बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या–524/2021 में माननीय अधिकरण निर्णय दिनांक–25.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती अनिता सोनी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय में अपीलार्थी श्रीमती अनिता सोनी द्वारा वर्णित तथ्यों में पदस्थापन स्थान 190 किमी. दूर होने एवं पति भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जैतारण, पाली में मैनेजर के पद पर पदस्थापित होने एवं परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहने के आधार पर आलौच्य आदेश दिनांक–04.01.2021 को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किये जाने हेतु वर्णन किया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी का पदस्थापन चूरू जिले में ही किया, किसी अन्य जिले में नहीं। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए किए गए स्थानांतरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्य नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
**निदेशक**
**माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान**
**बीकानेर**

**क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./अनिता सोनी/524/2021/4 दिनांक–** 03/02/2021

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, चूरू
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

**संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)**
**माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान**
**बीकानेर**